

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.



मि०न० - 21/2020(2020/00299)

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. ईश्वर पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्दीप्रसाद पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. मदन पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
4. सुचित्रा पत्नी मदन जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
5. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा सरदारगढ़िया त० भादरा।
6. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा सरदारगढ़िया त० भादरा।
7. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादरा।
8. एसबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता

अन्तर्गत धारा 8(2) राज० जनरल को० कन्डीशन  
एक्ट सपटित धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री पवन सिहाग प्रार्थी  
श्री रोहताश शर्मा अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 155/150 के मु०न० 104 के किला न० 20 की 0.253 है०, किला न० 21 की 0.240 है०, मु०न० 117 के किला नं० 4, 5, 6 प्रत्येक की 0.253, किला न० 10/2 की 0.190 है०, इस प्रकार कुल 1.4420 हैक्टेयर नहरी 1.3920 हैक्टेयर खाला 0.050 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 209/197 के मु०न० 116 किला नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 24 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर किला नं० 25 की 0.215 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 5.022 हैक्टेयर नहरी 2.3910 हैक्टेयर बारानी 2.5300 हैक्टेयर खाला 0.101 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 ईश्वरसिंह के नाम से 0.837 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी बद्दीप्रसाद के नाम चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 87/94 के मुरब्बा न० 105 के किला न० 16 की 0.253 है०, किला न० 24/2 की 0.126 है०, किला न० 25 की 0.253 है०, मु० न० 117 के किला न० 7 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 10/1 की 0.063 है० इस प्रकार कुल 1.454 है० तथा खाता संख्या 209/197 के मु० न० 116 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 25 की 0.215 है० कुल 5.022

JV

Page 1 of 3

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

है0 नहरी 2.3910 है0 बरानी 2.5300 है0 खाला 0.101 है0 खातेदारी कृषि भूमि में 0.837 है0 अप्रार्थी संख्या 1 बन्दीप्रसाद के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी राजेन्द्र के नाम चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 44/140 के मुरब्बा नं0 104 के किला नं0 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 106 के किला नं0 6, 15 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 118 के किला नं0 4/2 की 0.177 है0, किला नं0 5 की 0.126 है0 इस प्रकार कुल 1.3150 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या 3 मदन के नाम चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 109/109 के मुरब्बा नं0 105 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, प्रत्येक किला की 0.253 है0 मुरब्बा नं0 118 के किला नं0 2/1 की 0.127 है0, किला नं0 3 की 0.253 है0, किला नं0 8 की 0.101 है0, किला नं0 9/1 की 0.095 है0 इस प्रकार कुल 2.600 हैक्टेयर नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या 4 सुचित्रा के नाम से चक 3 एमएसआर के खाता संख्या 205/198 के मु0 नं0 105 के किला नं0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 106 के किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 118 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 2 की 0.126 है0, किला नं0 9 की 0.095 है0 इस प्रकार कुल 3.004 हैक्टेयर नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी राजेन्द्र अपनी कृषि भूमि में अप्रार्थी रामचन्द्र के मु0 नं0 9 के किला नं0 11, 20, 21 में से पूर्वी तरफ किला लाईन के पास उतर से दक्षिण आवागमन करता आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नहीं है।

अप्रार्थी मदन के नाम चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 109/109 के मुरब्बा नं0 105 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 118 के किला नं0 2/1 की 0.127 है0, किला नं0 3 की 0.253 है0, किला नं0 8 की 0.101 है0, किला नं0 9/1 की 0.095 है0 इस प्रकार कुल 2.600 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी सुचित्रा के नाम चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 205/198 के मुरब्बा नं0 105 के किला नं0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 106 के किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 118 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 2 की 0.126 है0, किला नं0 9 की 0.095 है0, किला नं0 10 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 3.004 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण अपने खेत में अप्रार्थी संख्या 1 बन्दीप्रसाद के मु0 नं0 105 के किला नं0 16 में किला के उतरी तरफ किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम, मु0 नं0 105 के किला नं0 24/2 में किला के पश्चिम तरफ किला लाईन के पास पास उतर से दक्षिण एवं प्रार्थी के स्वयं के मु0 नं0 105 के किला नं0 17 में किला के उतरी तरफ किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम, किला नं0 17 के पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण, किला नं0 24/1 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास उतर से दक्षिण, अप्रार्थी संख्या 2 के मु0 नं0 118 के किला नं0 4 में किला के पश्चिम तरफ किला लाईन के पास पास उतर से दक्षिण 165 फीट लम्बाई में, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के मु0 नं0 118 के किला नं0 8, 9, 10 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास पास व नहर की बाउन्ड्री के पास-पास किला नं0 8 व 9 में 390 फीट लम्बाई में व किला नं0 10 में 165 फीट लम्बाई में सवा आठ फीट चौड़ाई में, प्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के मु0 नं0 117 के किला नं0 6 में किला के दक्षिणी तरफ एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मु0 नं0 117

के किला न० 7, 8, 9, 10/1 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास-पास सवा आठ फीट चौड़ाई में, प्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के नाम मु० न० 117 के किला न० 10/2 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास-पास एवं अप्रार्थिया संख्या 4 के मु० न० 116 के किला न० 6, 7 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास-पास सवा आठ फीट चौड़ाई में रास्ता से आवागमन करते आ रहे है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नहीं है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने राजीनामा पेश किया। बाद तसदीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा की भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि संयुक्त रूप से है तथा वाहमी राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के मु० न० 105 के किला न० 16 में किला के उत्तरी तरफ किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम, मु० न० 105 के किला न० 24/2 में किला के पश्चिम तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण एवं प्रार्थी के स्वयं के मु० न० 105 के किला न० 17 में किला के उत्तरी तरफ किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम, किला न० 17 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण, किला न० 24/1 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण, अप्रार्थी संख्या 2 के मु० न० 118 के किला न० 4 में किला के पश्चिम तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण 165 फीट लम्बाई में, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के मु० न० 118 के किला न० 8, 9, 10 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास पास व नहर की बाउन्ड्री के पास-पास किला न० 8 व 9 में 390 फीट लम्बाई में व किला न० 10 में 165 फीट लम्बाई में सवा आठ फीट चौड़ाई में, प्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के मु० न० 117 के किला न० 6 में किला के दक्षिणी तरफ एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मु० न० 117 के किला न० 7, 8, 9, 10/1 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास-पास सवा आठ फीट चौड़ाई में, प्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के नाम मु० न० 117 के किला न० 10/2 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास-पास एवं अप्रार्थिया संख्या 4 के मु० न० 116 के किला न० 6, 7 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास-पास सवा आठ फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(जयसिंह) (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़